नवीन चन्द्र बाजपेई
आई. ए. एस.

गोपनीय

अ०शा०पत्रांक-सी. एम. -32/25-8-06-17(60)/

फोन : (0522) 26[illegible], 2238212 (का०)
: (0522) 2[illegible] (फैक्स)
: (0522) 22[illegible]50 (आ०)
उत्तर प्रदेश शासन
श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ -- 226001
E-mail : csup@up.nic.in

लखनऊ : दिनांक 7 अगस्त, 2006

प्रिय महोदय,

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में पुस्तकों तथा मुद्रित सामग्री के क्रय आदि की प्रक्रिया में 14 जनपदों में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित सूचना पर जनपद स्तर के अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा न केवल कार्यवाही नहीं की गई बल्कि इस प्रकरण में सम्पूर्ण मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से कराने हेतु प्रकरण गोपन विभाग को सन्दर्भित भी किया गया।

यह देखने में आया है कि अन्य विभागों द्वारा भी इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही न कर उन्हें आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जांच हेतु सन्दर्भित किया जा रहा है। विभागों द्वारा अपनाई जा रही यह प्रवृत्ति स्वस्थ परम्परा के अनुकूल नहीं है। ऐसी अनियमितताओं और दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय स्तर पर जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु उनके द्वारा स्वयं कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है; प्रशासनिक विभागों द्वारा दायित्वों की उपेक्षा कर प्रकरण आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जांच हेतु सन्दर्भित किए जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। यह भी देखा जा रहा है कि इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखने हेतु जारी शासनादेश संख्या-242/25-8-99- 17(1)/99, दिनांक 28 जनवरी, 1999 एवं शासनादेश संख्या-611/का-1- 2005, दिनांक 19 जुलाई, 2005 का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः यह कहने के अपेक्षा की गई है कि ऐसे मामलों में विभागीय जां कर अनुशासनिक कार्यवाही कराए जाने पर विशेष बल दिया जाये तथा आर्थिक [illegible] अनुसन्धान संगठन को रूटीन प्रकृति के मामले जिसमें सम्बन्धित विभाग [illegible] विभागीय जांच कर कार्यवाही की जा सकती है अथवा आडिट आपत्ति [illegible] से सम्बन्धित मामले जांच हेतु यथासम्भव सन्दर्भित न किए जायें।

विभागीय जांच और आडिट कराने के बाद यदि किसी अधिकारी व क[illegible]ारी के विरूद्ध अनियमितता प्रकाश में आती है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक का[illegible]वाही की जाये और विभागीय कार्यवाही के समापन पर यदि इस प्रकार की अनियमितताएं पायी जायें कि कोई आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया सामने आता है तब सभी सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के उपरान्त [illegible]ला आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन (ई.ओ.डब्लू.) की विवेचना हेतु सन्दर्भि[illegible] [illegible]या जाये।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र ब[illegible])

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-सी.एम.-32(1)/25-8- 2006-17(60)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्लू. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस. पी. [illegible]ल)
सचि[illegible]